संख्याः 805 /xxviii-4-2011-04(घो0)/2011

प्रेषक,

डॉ0 एस.एस. सन्धू,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन ।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण,
उत्तराखण्ड, देहरादून ।

चिकित्सा अनुभाग–4 देहरादून : दिनांक 01 दिसम्बर, 2011

विषयः **प्रदेश में कार्यरत समस्त आशा कार्यकत्रियों को राज्य प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत वार्षिक धनराशि ₹ 5000 प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में ।**

महोदय,

उपयुर्क्त विषयक मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त श्रीराज्यपाल महोदय के द्वारा चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण में कार्यरत सभी आशा कार्यकत्रियों को संलग्न निर्धारित मूल्याकंन–प्रारूप के अनुसार राज्य सरकार की ओर से वार्षिक राज्य प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत वार्षिक प्रोत्साहन धनराशि ₹ 5000 निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करने का निर्णय लिया गया है :–

1. उक्त प्रोत्साहन धनराशि मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर की गयी घोषणा की तिथि अर्थात दिनांक 09.11.2011 से लागू होगी।

2. उक्त प्रोत्साहन धनराशि प्रतिवर्ष दो अर्द्धवार्षिक किस्तों में प्रदान की जायेगी।

3. चालू वित्तीय वर्ष 2011–12 में उक्त प्रोत्साहन धनराशि की प्रथम किस्त 09.11.2011 से 31.12.2011 तक *(कुल 52 दिन)* की अवधि हेतु प्रतिदिन प्रति आशा को गणनानुसार लगभग ₹ 712/– माह दिसम्बर, 2011 में एवं द्वितीय किस्त दिनांक 01.01.2012 से 31.03.2012 तक *(कुल 91 दिन)* की अवधि हेतु लगभग ₹ 1247/– माह मार्च, 2012 में प्रदान की जायेगी।

4. चालू वित्तीय वर्ष 2011–12 में आशाओं को प्रदान की जाने वाली प्रथम किस्त एवं द्वितीय किस्त हेतु व्यय होने वाली धनराशि मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से वहन की जायेगी।

5. आगामी वित्तीय वर्ष 2012–13 से प्रतिवर्ष योजना दिनांक 01 अप्रैल से क्रियान्वित मानी जायेगी, जिसके अन्तर्गत आशाओं को दी जाने वाली प्रथम किस्त माह सितम्बर एवं द्वितीय किस्त माह मार्च में प्रदान की जायेगी। उक्त सुसंगत योजना हेतु आगामी वित्तीय वर्ष के आय–व्ययक में यथा आवश्यक बजट प्राविधान कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

6. यह आदेश वित्त विभाग के अशा0 संख्या–281(P)/XXVIII(3)2011–12 दिनांक 01.12.2011में प्राप्त सहमति से जारी किये जा रहे है।

संलग्नक :– मूल्यांकन–प्रारूप

भवदीय,

(डॉ0 एस.एस.सन्धू)
सचिव

संख्याः 805 (1)/**xxviii**-4-2011-04(घो0)/2011, **तद्दिनांक** ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
2. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3. सचिव, गोपन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
4. मिशन निदेशक, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, उत्तराखण्ड, देहरादून ।
5. निदेशक, राष्ट्रीय कार्यक्रम, उत्तराखण्ड, देहरादून ।
6. महालेखाकर, उत्तराखण्ड, माजरा, देहरादून।
7. समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
8. समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी, उत्तराखण्ड ।
9. वित्त अनुभाग–3/नियोजन अनुभाग/एन.आई.सी. सचिवालय परिसर।
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(ओमकार सिंह)
अनु सचिव

'आशा कार्यकर्त्री' हेतु वार्षिक प्रोत्साहन धनराशि प्रदान किये जाने हेतु मूल्यांकन–प्रारूप

मूल्यांकन एवं सत्यापन :–

- राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत **'आशा'** कार्यकर्तियों का चयन ग्राम सभा की खुली बैठक में ग्राम प्रधान द्वारा किया जाता है तथा मानकों के अनुसार प्रति एक हजार जनसंख्या में एक **'आशा'** कार्यकर्ति को चुना जाता है परन्तु उत्तराखण्ड की विषय भौगोलिक परिस्थितियों एवं जनसंख्या के घनत्व को विचारित करते हुए इन मानकों में शिथिलीकरण करते हुए प्रति 500 की आबादी पर एक **'आशा'** की नियुक्ति भी की गयी है। भारत सरकार के निर्देशानुसार इनके द्वारा किये जाने वाले प्रत्येक कार्य हेतु प्रोत्साहन भत्ता दिया जाता है ।
- वर्तमान में प्रदेश में कुल **11086 'आशा'** कार्यर्तियाँ चयनित की गयी हैं जिन्हें समय–समय पर **"जिला आशा संशाधन केन्द्रों"** द्वारा विभिन्न प्रशिक्षण भी दिये जाते हैं तथा इनके कार्यों के सत्यापन एवं मूल्यांकन हेतु 550 **'आशा'** फैसिलिटेटर (प्रत्येक 15 से 20 **"आशा"** कार्यकर्तियों पर एक आशा फैसिलिटेटर) की नियुक्ति भी की गयी है जो कि जिला 'आशा' संशाधन केन्द्रों के माध्यम से मुख्य चिकित्साधिकारियों को जवाबदेह है।
- माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा संख्या 773/2011 दिनांक 9/11/2011 के क्रम में चिकित्सा विभाग में कार्यरत सभी **'आशा'** कार्यकर्तियों को राज्य सरकार की ओर से रू0 5000.00 मात्र की धनराशि प्रोत्साहन के रूप में दी जानी है। यह धनराशि दो अर्द्धवार्षिक किस्तों में दी जायेगी।
- उत्तराखण्ड में सभी "आशा" कार्यकर्ती को आशा फैसिलीटेटर और ए. एन.एम. द्वारा जिला आशा संसाधन केन्द्र के सत्यापन एवं मूल्यांकन उनके प्रशिक्षण रजिस्टर, गर्भावस्था फार्म, प्रसव फार्म, घरों के दौरे के फार्म तथा लक्ष्य दम्पत्ति रजिस्टर से सत्यापित करने के बाद ही वार्षिक प्रोत्साहन धनराशि मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा निर्गत की जायेगी।
- उक्त के लिए इस धनराशि को **आशा** कार्यकर्ती की सकियता को और बढ़ाने के लिये इनके क्षेत्र में सक्रियता का मानक तय करते हुये निर्धारित मूल्यांकन–प्रपत्र पर आशाओं के कार्यो का मूल्याकंन आशा फैसिलीटेटर द्वारा वर्ष में दो बार (माह अप्रैल से सितम्बर एवं माह अक्टूबर से मार्च) करते हुए मूल्यांकन प्रपत्र भरा जाएगा । तदोपरान्त

उक्त प्रपत्र को ए.एन.एम. द्वारा सत्यापित कर "जिला आशा संसाधन केन्द्र" के माध्यम से मुख्य चिकित्सा अधिकारी को प्रेषित किया जायेगा। आशा कार्यकर्तीयों के द्वारा किये गये कार्यो का सत्यापन एवं मूल्यांकन उनके प्रशिक्षण पंजिका, गर्भावस्था फार्म, प्रसव फार्म, घरों के दौरे के प्रपत्र तथा लक्ष्य दम्पत्ति पंजिका से सत्यापित किया जाएगा तब मुख्य चिकित्सा अधिकारी इस धनराशि को आशा कार्यकर्तियो को वर्ष में दो बार अर्द्धवार्षिक किस्तों के रूप में वितरित करेंगे।

- छःमाही मूल्यांकन में यदि कोई आशा कुल अंकों का 15 प्रतिशत प्राप्त करती है तो वह 50 प्रतिशत अर्द्धवार्षिक भुगतान की हकदार होगी तथा यदि वह 25 प्रतिशत अंक प्राप्त करती है तो पूर्ण अर्द्धवार्षिक भुगतान हेतु अर्ह होगी। इसी तरह दूसरी छःमाही में वह यदि पूर्ण वर्ष के लक्ष्यों के सापेक्ष 30 प्रतिशत अंक प्राप्त कर लेती है तो 50 प्रतिशत दूसरे अर्द्धवार्षिक भुगतान के लिए अर्ह रहेगी तथा 60 प्रतिशत अंक प्राप्त करने पर दूसरी छःमाही का पूर्ण भुगतान प्राप्त कर सकेगी।
- मूल्यांकन हेतु लक्ष्यों का निर्धारण मुख्य चिकित्साअधिकारी द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के दिशा–निर्देशानुसार तथा जिले की विशिष्ट परिस्थितियों एवं जनसंख्या के अनुरूप किया जायेगा।

''मूल्यांकन–प्रपत्र''

क्र.सं.	गतिविधि	टिप्पणी	स्केल (0–10)
1	आशा उसी गांव में निवास करती है	यदि हां तो 10 अंक यदि नहीं तो 0 अंक	
2	आशा ने प्रशिक्षण प्राप्त किये	➢ माडयूल 6 से 7 के लिए 10 अंक ➢ माडयूल 4 से 5 के लिए 8 अंक ➢ माडयूल 1 से 3 के लिए 5 अंक ➢ यदि कोई प्रशिक्षण नहीं प्राप्त किया तो 0 अंक	
3	**गर्भवती महिला पंजीकरण, 100 गोली आयरन की, तीन प्रसवपूर्व जाँच के साथ–साथ दो टी.टी. के टीके लगवाना सुनिश्चित करवाना** **➢ निर्धारित लक्ष्यों के सापेक्ष 80%–90% प्राप्ति पर 10 अंक**		

	➢ निर्धारित लक्ष्यों के सापेक्ष 60%–79% प्राप्ति पर 8 अंक ➢ निर्धारित लक्ष्यों के सापेक्ष 30%–59% प्राप्ति पर 6 अंक ➢ निर्धारित लक्ष्यों के सापेक्ष 10%–29% प्राप्ति पर 5 अंक ➢ निर्धारित लक्ष्यों के सापेक्ष 0–9% प्राप्ति पर 0 अंक	
4	संस्थागत प्रसवों को बढ़ावा देना ➢ निर्धारित लक्ष्यों के सापेक्ष 80%–90% प्राप्ति पर 10 अंक ➢ निर्धारित लक्ष्यों के सापेक्ष 60%–79% प्राप्ति पर 8 अंक ➢ निर्धारित लक्ष्यों के सापेक्ष 30%–59% प्राप्ति पर 6 अंक ➢ निर्धारित लक्ष्यों के सापेक्ष 10%–29% प्राप्ति पर 5 अंक ➢ निर्धारित लक्ष्यों के सापेक्ष 0–9% प्राप्ति पर 0 अंक	
5	पूर्ण टीकाकरण सुनिश्चित कराना ➢ निर्धारित लक्ष्यों के सापेक्ष 80%–90% प्राप्ति पर 10 अंक ➢ निर्धारित लक्ष्यों के सापेक्ष 60%–79% प्राप्ति पर 8 अंक ➢ निर्धारित लक्ष्यों के सापेक्ष 30%–59% प्राप्ति पर 6 अंक ➢ निर्धारित लक्ष्यों के सापेक्ष 10%–29% प्राप्ति पर 5 अंक ➢ निर्धारित लक्ष्यों के सापेक्ष 0–9% प्राप्ति पर 0 अंक	
6	परिवार नियोजन सेवाये (स्थाई तथा अस्थाई विधियां) प्रोत्साहित करना ➢ निर्धारित लक्ष्यों के सापेक्ष 80%–90% प्राप्ति पर 10 अंक	

	➢ निर्धारित लक्ष्यों के सापेक्ष 60%–79% प्राप्ति पर 8 अंक ➢ निर्धारित लक्ष्यों के सापेक्ष 30%–59% प्राप्ति पर 6 अंक ➢ निर्धारित लक्ष्यों के सापेक्ष 10%–29% प्राप्ति पर 5 अंक ➢ निर्धारित लक्ष्यों के सापेक्ष 0–9% प्राप्ति पर 0 अंक	

(डा0 एस.एस.सन्धू)
सचिव